

22 हजार करोड़ रुपये से होगा औद्योगिक विकास व एक्सप्रेसवे का निर्माण

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: सरकार ने अनुपूरक बजट में राज्य के औद्योगिक विकास व एक्सप्रेसवे के लिए 22,208 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। वहीं पांच एक्सप्रेसवे के निर्माण और विस्तारीकरण के लिए 18,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तारीकरण पर 5780 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) व फार्च्यून-500 कंपनियों को निवेश पर सब्सिडी देने के लिए 1303 करोड़ रुपये व उत्तर प्रदेश आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के क्रिय्यावयन के लिए 40.92 लाख रुपये का प्रविधान अनुपूरक बजट में किया गया है।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के लिए 250 करोड़ रुपये, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा

- पांच एक्सप्रेस के लिए बजट में 18,400 करोड़ का प्रविधान
- विन्ध्य एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2380 करोड़ रुपये रखे
- तीन हजार करोड़ से स्थापित किए जाएंगे नए औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक कारिडोर के लिए अतिरिक्त बजट

एक्सप्रेसवे के किनारे अमरोहा, फिरोजाबाद, अमेठी, सुलतानपुर, बदायूं, इटावा, हमीरपुर नोड, महोबा नोड, जालौन और उन्नाव में औद्योगिक कारिडोर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रविधान किया गया है।

एक्सप्रेसवे हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फोल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसी प्रकार



गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए 6580 करोड़ रुपये दिया गया है। इस राशि में से भूमि क्रय के लिए 6500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तारीकरण के लिए भूमि क्रम को लेकर 5700 करोड़ और निर्माण के लिए 80 करोड़ का प्रविधान है। विन्ध्य एक्सप्रेसवे पर सोनभद्र से शुरू होकर चंदौली व गाजीपुर होते हुए पूर्वांचल लिंक स्पर के निर्माण लिए भूमि क्रय को लेकर 2300 करोड़ रुपये बजट में रखे गए हैं।

अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 1500 करोड़

सरकार ने अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत संडीला, रामसनेही घाट, मेजा, आइएमएलसी गाजीपुर व अंबेडकर नगर तथा बांदा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 495.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब देना ही होगा जुर्माना

यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब खैर नहीं। इस संदर्भ में अप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक-2026 पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में सरकार को निर्देश दिया था कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड समाप्त नहीं किया जा सकता है।

119 करोड़ रुपये से बनेगा यूपीडा का नया कार्यालय भवन

उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के नए कार्यालय भवन के लिए 119 करोड़ दिया है। इस राशि से कार्यालय भवन के लिए भूमि क्रय करने के लिए निर्माण कार्य कराया जाएगा। अप आईटी सदन की स्थापना को 50.02 करोड़ व स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की स्थापना को 51 करोड़ दिया।

विधान भवन में अब एआई बताएगा आग का खतरा

विधान भवन परिसर को आग से बचाने के लिए नई तकनीक के लिए 39.28 करोड़ रुपये से अधिक का प्रविधान है। इसके तहत पारंपरिक 'स्मोक अलार्म' की जगह वीडियो आधारित विश्लेषणात्मक फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी लाइटिंग और अत्याधुनिक अग्निशमन प्रणाली स्थापित की जाएगी।